



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-10122020-223628
CG-DL-W-10122020-223628

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 38] नई दिल्ली, नवम्बर 29—दिसम्बर 5, 2020, शनिवार / अग्रहायण 8 — अग्रहायण 14, 1942
No. 38] NEW DELHI, NOVEMBER 29-DECEMBER 5, 2020, SATURDAY/AGRAHAYANA 8-AGRAHAYANA 14, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 171.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में बेतार ऑपरेटर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बेतार ऑपरेटर भर्ती नियम, 2020 हैं।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेतार ऑपरेटर	05*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह—ग अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 4 (25,500—81,100 रु.)	लागू नहीं होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण 1 : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, लाहौल और स्पीति जिला और चंबा जिले के पंगी उप खण्ड, संघराज्यक्षेत्र लद्दाख, संघराज्यक्षेत्र अंडमान एवं निकोबार

					द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षणिक अर्हताएं आवश्यक : (I) सरकारी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा ; या (II) किसी सरकारी संगठन या सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन में दो वर्षीय आई टी आई (इलेक्ट्रॉनिक या रेडियो और टीवी) के साथ एक वर्ष का शिक्षुता प्रशिक्षण ; या (III) सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संगठन में गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र विषयों के साथ इंटरमीडियट या 12वीं कक्षा तथा बेतार ऑपरेटर के रूप में तीन वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (I) मेकैनिक्स-सह-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन सिस्टम के ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र (एनटीसी) । (II) कम्यूटर में कार्य साधक ज्ञान के साथ अंग्रेजी टंकण में अच्छी गति ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति— (I) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस दूरसंचार या बेतार शाखा	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगा — (I) उप निदेशक — अध्यक्ष	लागू नहीं होता

में सदृश पद धारण करते हो ; या (II) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (रु. 25500—81100) में दो वर्षीय नियमित सेवा के साथ बेतार ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैड कांस्टेबल ; या (III) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रु. 21700—69100) में बेतार आपरेटर के रूप में कार्यरत हैड कांस्टेबल जिसने पांच वर्ष नियमित सेवा की हों । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के किसी संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति के लिए साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	(II) उप कमांडेंट (बेतार) —सदस्य ; (III) प्रशासनिक अधिकारी — श्रेणी II या श्रेणी—III- सदस्य	
---	---	--

[फा.सं. 23011 / 46 / 2017—पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Wireless Operator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Wireless Operator, Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Wireless Operator	5* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 4 in the pay matrix (Rs. 25,500-81,100)	Not applicable	Between 18 and 25 years. (The upper age-limit relaxable for departmental candidates upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territory of Ladakh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union territory of Lakshadweep). Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Education qualifications: Essential: (i) three years Diploma in Electronic and Communication Engineering from Government College or University or Government recognised College or University; or (ii) two years ITI (Electronics or Radio and TV) with one year apprenticeship training in any Government organisation or Government recognised organisation; or (iii) Intermediate or 12 th Standard with Maths, Physics and Chemistry Subjects, with three years experience as Wireless Operator in Government or Government recognised organisation. Desirable:- (i) National Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-cum-operator Electronic Communication System. (ii) Working knowledge of Computer with good speed in English typing.	Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation: 1) holding analogous posts among Central Armed Police Forces and State Police Telecommunication or Wireless Branch; or 2) Head Constable working as Wireless Operator with two years of regular service in the level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100); or 3) Constable working as Wireless Operator with five years of regular service in the level-3 of the pay matrix (Rs. 21700-69100).	Group 'C' Department Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (1) Deputy Director - Chairman; (2) Deputy Commandant (Wireless) - Member; (3) Administrative Officer, Grade-II or Grade III -Member.	Not applicable.

Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age-limit for appointment for deputation or absorption shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. 23011/46/2017-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कनिष्ठ अभियंता (इलैक्ट्रानिक्स) भर्ती नियम, 2020 हैं।
- ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रानिक्स)	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 6 (रु. 35,400—112,400)।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन अनुबंध सहित)/प्रोन्नति

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालीन संविदा सहित) प्रोन्नति— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या संवैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन आने वाले अधिकारियों— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पद धारण करते हो ; या (ii) मूलकाडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 5 (रु. 29200—92300/—) में 6 साल की नियमित सेवा के साथ ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएँ एवं अनुभव होना चाहिए ; (i) मान्यता प्राप्त संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, तथा (ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वायत्त या संवैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों से इलैक्ट्रानिक्स सिस्टमों के रख रखाव और मरम्मत में दो वर्षीय कार्य का अनुभव।	समूह—'ख' हेतु विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. उप निदेशक —सदस्य 2. सहायक निदेशक —सदस्य 3. मोटर परिवहन/बेतार प्रशिक्षण अनुदेशक —सदस्य	लागू नहीं होता

टिप्पण 1 — उस ग्रेड में 6 वर्षीय नियमित सेवा के साथ वेतन मैट्रिक्स स्तर-5 (रु. 29200—92300/—) में रहने वाले विभागीय इलैक्ट्रानिक तकनीशियन—सह—ऑपरेटर जिनके पास प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति पर विचार के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, उन पर भी बाह्य उम्मीदवारों के साथ विचार किया जाएगा तथा नियुक्ति हेतु विभागीय इलैक्ट्रानिक तकनीशियन—सह—ऑपरेटर के चयनित होने के स्थिति में पद को प्रोन्नति से भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2 —केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे भूतपूर्व काडर पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्य रूप से 03 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। टिप्पण 3 —प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) हेतु उच्चतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।		
---	--	--

[फा.सं. 23011/33/2018—पीटी]
डी.के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 172.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Junior Engineer (Electronics) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Engineer (Electronics) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Junior Engineer (Electronics) Recruitment Rules, 2020.
(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) to the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(b) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(c) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in consultation with the Union Public Service Commission with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Engineer (Electronics)	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotee	Deputation (including short-term contract)/ Promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or statutory or autonomous organisation or public sector undertaking or university or recognised research institutions,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) in the parent cadre or department, and (b) possessing the following educational qualification and experience: (i) diploma in Electronics and Communication Engineering from a recognised institution, and (ii) two years of work experience in maintenance and repair of Electronics	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Dy. Director Administration -Chairman; (ii) Assistant Director -Member; (iii) Motor Transport/ Wireless Training Instructor -Member.	Not applicable.

systems from Central Government or State Government or autonomous or statutory organisation or public sector undertaking or universities or recognised research institutes. Note 1:- The departmental Electronic Technician-cum-Operator in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with six years of regular service in the Grade and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Electronic Technician-cum-Operator selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2:- The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		
--	--	--

[F.No. 23011/33/2018-PT]
D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि.173.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक	2*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स स्तर-7 (रु. 44900-142400) ।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती हेतु उम्मीदवारों हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / प्रोन्नति ।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) / प्रोन्नति । केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या संवैधानिक स्वायत्त संगठन या सार्वजनिक उपक्रम या मान्यता प्राप्त शोध संस्थान या विश्वविद्यालय के अधिकारी— (क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारक या (ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 6 रु. 35400—112400 /—में नियमित आधार पर पद के लिए नियुक्ति के बाद प्रदान की गई पांच साल की सेवा या मूल काडर या विभाग में समतुल्य पद पर (iii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 5 रु. 29200—92300 /—में नियमित आधार पर पद के लिए नियुक्ति के बाद प्रदान की गई 6 साल की सेवा या मूल काडर या विभाग में समकक्ष पद पर	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(iv) वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 4 रु. 25500—81100/—में नियमित आधार पर पद के लिए नियुक्ति के बाद प्रदान की गई 15 साल की सेवा या मूल कांडर या विभाग में समतुल्य पद पर और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव धारक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फॉरेंसिक साइंस या फिजिक्स या केमिस्ट्री या टॉक्सिकोलॉजी या जूलॉजी या बॉटनी या बायो—केमिस्ट्री या बायोलॉजी या डीएनए में मास्टर डिग्री (ii) किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय या संस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में किसी भी फॉरेंसिक प्रयोगशाला या फॉरेंसिक विज्ञान विभाग में दो साल का कार्यानुभव। टिप्पण 1 —विभागीय वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक वेतन मैट्रिक्स स्तर —4 (रु. 25,500 — 81,100) के ग्रेड में पंद्रह वर्षों की नियमित सेवा के साथ में और प्रतिनियुक्ति धारक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने के साथ बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा.सं. 23011/34/2018—पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 173.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Scientific Assistant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Senior Scientific Assistant) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**—No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax in consultation with Union Public Service Commission, any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Scientific Assistant	02*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	Deputation (including short-term contract)/promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)/Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union territories or statutory autonomous organization or public sector undertaking or recognized research institutions or university,- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five year service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department, or (iii) with six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent	Not applicable	Not applicable.

cadre or department, or (iv) with fifteen years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the level-4 of the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department, and (b) possessing the following educational qualifications and experience: (i) Master Degree in Forensic Science or Physics or Chemistry or Toxicology or Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Biology or DNA from recognised University or Institute. (ii) two years of working experience in any Forensic Laboratory or Forensic Science Department in any Government University or Institution or Government recognised University or Institution. Note 1:- The departmental Senior Laboratory Assistant with fifteen years of regular service in Level-4 in the pay matrix (Rs. 25,500 – 81,100) and having the educational qualification and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Senior Laboratory Assistant selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3:- The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		
---	--	--

[F.No. 23011/34/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 174.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, फोटोचित्रण अधिकारी भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में फोटोचित्रण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम आर प्रारंभ .—** 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, फोटोग्राफी अधिकारी भर्ती नियम, 2020 हैं।
2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
- उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूत पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु—सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फोटोचित्रण अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 7 (रु. 44,900—142,400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पदोन्नति पाने वालों के लिए 2 वर्ष	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिन से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा— केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान के अधिकारी— (क) (i) मूलकैडर या विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य पद धारक ; या	समूह—'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे— 1. निदेशक, सवप राष्ट्रीय पुलिस अकादमी —अध्यक्ष 2. उपनिदेशक, सवप राष्ट्रीय पुलिस अकादमी —सदस्य 3. सहायक निदेशक, सवप राष्ट्रीय पुलिस अकादमी—सदस्य	लागू नहीं होता।

(ii) वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 6 रु. 35400—112400/—में नियमित आधार पर पद के लिए नियुक्ति के बाद प्रदान की गई पांच साल की सेवा या मूल कैडर या विभाग में समकक्ष पद पर ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएँ एवं अनुभव धारक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से फोटोग्राफी या सिनेमैटोग्राफी का डिप्लोमा। (ii) फोटोग्राफी (कलर फीचर) में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव टिप्पण 1 —विभागीय कैमरामैन पे मैट्रिक्स लेवल—5 (रु. 29200—92300) के ग्रेड में पांच साल की नियमित सेवा के साथ में और प्रतिनियुक्ति धारक के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखने के साथ बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाएगा। यदि पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तो उसे पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं. 23011/28/2018—पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 174 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Photographic Officer) Recruitment Rules, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Photographic Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad (Photographic Officer) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with the Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Photographic Officer	1*(2020) * Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non- ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400/-)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By deputation/promotion

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory Organization or Public Sector Undertakings or University or Recognised Research Institution,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level-6 in the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Chairman; 2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member; 3. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Not applicable.

pay matrix (Rs.35400-112400/-) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following education qualifications and experience: (i) Diploma in Photography or Cinematography from a recognised University or Institution. (ii) Minimum five years experience in Photography (Color or Feature). Note 1.- The Departmental Cameraman in Level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) with five years of regular service in the grade and possessing the educational qualifications prescribed for deputationist will also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion. Note 2.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		
---	--	--

[F.No. 23011/28/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 175.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, चित्रकार एवं कलाकार भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में चित्रकार एवं कलाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—** 1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, चित्रकार एवं कलाकार भर्ती नियम, 2020 हैं।
2. ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि.**— उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति .**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा और उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चित्रकार एवं कलाकार	01*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसूचित ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर — 6(रु. 35,400—112,400)	लागू नहीं होता	आयु 30 वर्ष से अधिक न हो । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट) टिप्पणी : आयु सीमा निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी ।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
शैक्षिक योग्यता — (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ललित कला या व्यवसायिक कला या अनुप्रयुक्त कला में स्नातक डिग्री । (ii) एक विज्ञापन या कोरपोरेट फर्म में एक कलाकार के रूप में दो साल का व्यावहारिक अनुभव या अंग्रेजी और हिंदी में पर्चे, पोस्टर, नक्शे, चार्ट, फ्री हैंड	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु 2 वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा

लेटरिंग कार्य के डिजाइन या लेआउट के तैयारी के संबंध में एक स्वतंत्र रूप में एक प्रलेखित प्रमाण के साथ। वांछित : प्रिंटिंग तकनीक या फोटोग्राफी में अनुभव और ग्राफिक्स, डिजाइन, चित्र आदि के लिए डिजाइन या कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इसका उपयोग करना।			
---	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति द्वारा — केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन आने वाले अधिकारी :— (क) (i) नियमित आधार पर समतुल्य पदधारक ; या (ii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 29200—92300) स्तर—5 ग्रेड में नियुक्ति के बाद प्रदान की गई 6 साल की नियमित सेवा के साथ। (ख) मद संख्या 7 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के साथ। टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह —‘ख’ विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति एवं पुष्टिकरण पर विचार हेतु) जिसमें निम्नलिखित होंगे — 1. संयुक्त निदेशक — अध्यक्ष 2. उप निदेशक — सदस्य 3. सहायक निदेशक — सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. 23011/57/2018—पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 175.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, (Painter-cum Artist) Recruitment Rules, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Painter-cum-Artist in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :—

- Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Painter-cum-Artist, Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-
- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the above said post:
- Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Painter-Cum-Artist	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable	Age not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Educational Qualifications: (i) Bachelors Degree in Commercial Arts or Fine Arts or Applied Arts from a Recognised University or Institution. (ii) Two years of practical experience as an Artist in an	Not applicable	Two years for direct recruits	By deputation failing which by direct recruitment

Advertisement or Corporate Firm or with documented proof as a freelance in respect of preparation of design or layout of pamphlets, posters, maps, charts, free hand lettering work in English and Hindi. Desirable: Experience in printing techniques or photography and its application to designing or Computer software for graphics, designs, illustrations, etc.			
---	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation: Officials under the Central Government or State Governments or Union Territories:- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with six years regular service in the grade rendered after appointment in level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300); and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for Direct Recruits under column (7). Note-1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years further extendable as per Government of India orders. Note-2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.	Group-‘B’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- (i) Joint Director - Chairman; (ii) Deputy Director -Member; (iii) Assistant Director -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/57/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 176.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2014 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह

मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II) भर्ती नियम, 2020 है।
(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**— वह व्यक्ति —
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती लए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड-II)	02*(2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600—151,100 रु.)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	(i) प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत ; और (ii) प्रतिनियुक्ति द्वारा 50 प्रतिशत

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति द्वारा — केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन—मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900—142400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ एवं अनुभव रखते हों : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री ; और (ii) सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या कानूनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में प्रशासनिक, स्थापना कार्य में तीन वर्ष का अनुभव । टिप्पणी 1 — वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (44900—142400 रु.) में रहने वाले विभागीय प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—III, में जिनकी उस ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति पद हेतु लिखित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव है, उन पर बाहरी लोगों के साथ भी विचार किया जाए और नियुक्ति के लिए विभागीय प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड—III, के चयनित होने के मामले में, पद को पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा । टिप्पणी 2 —प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पणी 3 — प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक है ।

[फा.सं. 23011/30/2018—पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 176 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Administrative Officer (Grade-II) Recruitment Rules, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Administrative Officer Grade-II in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Administrative Officer Grade-II) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) to the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**— No person,-
 (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
 shall be eligible for appointment to the above said post:
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Administrative Officer Grade II	2*(2020) *subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	(i) 50 percent by deputation/promotion; and (ii) 50 percent by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation / Promotion: Officers under the Central Government or State Government or Union Territories : (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department, or	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience; (i) Bachelor Degree from recognised university or Institution; and (ii) three years experience in administration, establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or autonomous body or statutory body or recognised university or research institute. Note1:- The departmental Administrative Officer Grade-III in Level-7 of the pay matrix (Rs. 44900-142400) with two years of regular service in the Grade and having the educational qualification and experience prescribed for deputationists shall also be considered along with the outsiders and in case departmental Administrative Officer Grade-III selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion. Note 2:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3:- The maximum age-limit for deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		
--	--	--

[F. No.23011/30/2018-PT]
D. K. GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2020

सा.का.नि. 177.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 1982 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, (कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 हैं।
(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।**अनुसूची**

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	01* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-ख राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 7 (रु.44,900—1,42,400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी हैं)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति(जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी हैं) — (अ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी : (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सादृश्य पद धारक किया हो ; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर —6 (35400—112400 रु.), के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ब) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते हो ;	लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है ।

आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फोरेन्सिक विज्ञान या भौतिकी या रसायन विज्ञान या विष विज्ञान या जन्तु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या जैव-रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या डीएनए और सीरोलॉजी में मास्टर डिग्री । (ii) मान्यता प्राप्त अकादमिक संस्थान या प्रशिक्षण संस्थान या अकादमी में तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव । (iii) कम्प्यूटर में कार्यसाधक ज्ञान । वांछित : (i) उपरोक्त वर्णित सुसंगत विषय में पीएचडी । (ii) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में केन्द्रीय फोरन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला या राज्य फोरन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला या पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय या फोरन्सिक विज्ञान विभाग में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि हैं साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालीन संविदा भी हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख से 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।		
--	--	--

[फा.सं. 23011/61/2018-पीटी]

डी. के. घोष, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd December, 2020

G.S.R. 177 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Junior Scientific Officer) Recruitment Rules, 1982, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Scientific Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Junior Scientific Officer) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**— The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- Disqualification.**— No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen, the Other Backward classes and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Scientific Officer	1*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-B, Gazetted, Non-Ministerial	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short-term contract)- (a) Officers under the Central Government or State Government or Union Territories or Autonomous or Statutory organization or Public Sector Undertaking or Universities or Recognised Research Institutes: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in posts in level-6 in the pay matrix (Rs. 35,400-1,12,400/-), and (b) Possessing the following educational qualifications and experience; Essential: (i) Master Degree in Forensic Science or Physics or Chemistry or Toxicology or Zoology or Zoology or Botany or Bio-Chemistry or Biology or DNA and Serology from a recognised University. (ii) three years teaching experience in recognised Academic institution or training institution or Academy. (iii) working knowledge of computers.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Desirable: (i) Ph. D. In the relevant subject mentioned above. (ii) Two years working experience in Central Forensic Science Laboratory or State Forensic Science Laboratory or Police training Collage or Forensic Science department in any recognised University. Note 1:- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2:- The maximum age-limit for deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of application.		
--	--	--

[F.No. 23011/61/2018-PT]

D. K. GHOSH, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 178.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में प्रभागीय लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (प्रभागीय लेखाकार) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रभागीय लेखाकार	(1660)* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। टिप्पण: राज्यवार पद संख्या निम्नानुसार है: अरुणाचल प्रदेश - 38 बिहार - 198 छत्तीसगढ़ - 53 गुजरात - 47 हरियाणा - 70 हिमाचल प्रदेश - 44 झारखंड - 97 मध्य प्रदेश - 106 महाराष्ट्र - 150 मणिपुर - 27 ओडिशा - 117 पंजाब - 77 संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ - 6 राजस्थान - 120 तमिलनाडु - 51 त्रिपुरा - 18 उत्तराखंड - 58 उत्तर प्रदेश - 255 पश्चिम बंगाल - 128 कुल - 1660	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर-6, (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। (ii) विनिर्दिष्ट भाषा के लिए और यथाविनिर्दिष्ट स्तर पर और ऐसे राज्य के लिए जिसमें रिक्तियां विद्यमान हैं, भाषा प्रवीणता के लिए परीक्षण किया जाए और राज्य महालेखाकार के कार्यालय में भर्ती किया जाना है। टिप्पण : अर्हता, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं कमचारी चयन अयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।	लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1: पश्चिम बंगाल राज्य में दस प्रतिशत रिक्तियों को प्रभागीय लेखाकार श्रेणी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके पश्चिम बंगाल सरकार के ज्येष्ठ लेखा लिपिक के वेतन मैट्रिक्स में प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। टिप्पण 2: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ निम्नलिखित में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जायेगी:- (i) ऐसे प्रभागीय लेखाकार, जो भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के अन्य लेखा और हकदारी कार्यालय के वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में हों। (ii) ऐसे ज्येष्ठ लेखाकार जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में हों (जो ऐसे लेखा और हकदारी कार्यालय के हैं, जिसकी अधिकारिता में रिक्तियाँ हुई हैं) जिन्होंने लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है, और जिसे संकर्म अनुभाग में दो वर्ष का अनुभव हो; या (iii) ऐसे लेखाकार जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हैं, (जो ऐसे लेखा और हकदारी कार्यालय के हैं, जिसकी अधिकारिता में रिक्तियाँ हुई हैं) जिन्होंने लेखाकारों के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिसे संकर्म अनुभाग में दो वर्ष का अनुभव हो; या (iv) ऐसे राज्य लोक निर्माण लिपिक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसे लोक

			निर्माण लेखा में दो वर्ष का अनुभव भी है। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय पुष्टीकरण समिति (पुष्टीकरण के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार या निदेशक - अध्यक्ष। 2. उप महालेखाकार या उप निदेशक - सदस्य। और 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी या ज्येष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी - सदस्य। विभागीय प्रोन्नति समिति, (पश्चिम बंगाल राज्य में ज्येष्ठ लेखा लिपिक की प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. ज्येष्ठ उप महालेखाकार - अध्यक्ष। 2. उप महालेखाकार - सदस्य। और 3. ज्येष्ठ लेखा अधिकारी - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए.12018/04/2013-ई.जी (जिल्द-II)]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Expenditure)**

New Delhi, the 17th November, 2020

G.S.R. 178.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Divisional Accountant in the Indian Audit and Accounts Department, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Divisional Accountant) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**— No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Divisional Accountant	1660* (2020) *subject to variation depending on requirement of workload. Note: State-wise number of post is as under: Arunachal Pradesh – 38 Bihar – 198 Chhattisgarh – 53 Gujarat – 47 Haryana – 70 Himachal Pradesh – 44 Jharkhand – 97 Madhya Pradesh – 106 Maharashtra – 150 Manipur – 27 Odissa – 117 Punjab – 77 Union Territory – 6 Chandigarh Rajasthan – 120 Tamilnadu – 51 Tripura – 18 Uttarakhand – 58 Uttar Pradesh – 255 West Bengal – 128 Total – 1660	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial	Level-6 (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Bachelor's degree from a recognised University. (ii) Language proficiency for the language specified, and at the level as prescribed and to be tested, for the State in which the vacancies exist and recruitment is to take place, in the office of State Accountants General. Note: - Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. Note 1: In the State of West Bengal, ten percent of the vacancies shall be filled up by promotion of Divisional Accountants Grade Examination passed Senior Accounts Clerk as per the pay matrix of Government of West Bengal. Note 2: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up on transfer on deputation from - (i) Divisional Accountants in level-6 (Rs 35400-112400) in the pay matrix of other Accounts and Entitlement Offices of Indian Audit and Accounts Department; or (ii) Senior Accountants in level-6 (Rs 35400-112400) in the pay matrix (belonging to the Accounts and Entitlement Office in whose jurisdiction the vacancies have arisen) who have passed the Departmental Examination for Accountants and having two years experience in Works section; or (iii) Accountants in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service (belonging to the Accounts and Entitlement office in whose jurisdiction the vacancies have arisen) who have passed the Departmental Examination for Accountants and having two years experience in Works section; or (iv) State Public Work Clerks in level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service and two years experience in Public Works Accounts.

			Note 3: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding his appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years, as on the closing date of receipt of applications.
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grades, from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Senior Deputy Accountant General or Director –Chairperson; 2. Deputy Accountant General or Deputy Director –Member; and 3. Senior Accounts Officer or Senior Audit Officer -Member. Departmental Promotion Committee (for considering promotion of Senior Accounts Clerk in the State of West Bengal) consisting of:- 1. Senior Deputy Accountant General –Chairperson; 2. Deputy Accountant General –Member; and 3. Senior Accounts Officer –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/04/2013-EG (Vol-II)]
NIRMALA DEV, Dy. Secy (EG)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 179.— राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2016, को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग, (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और उससे उपाबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है। या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में नियोजित व्यक्तियों को यथा लागू केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक लेखा अधिकारी	2347* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है टिप्पण: पद संख्या के राज्यवार ब्योरे निम्नानुसार है: आंध्र प्रदेश - 72 अरुणाचल प्रदेश - 12 असम - 79 बिहार - 91 छत्तीसगढ़ - 56 गुजरात - 100 हरियाणा - 74 हिमाचल प्रदेश - 56 जम्मू-कश्मीर - 66 झारखंड - 52 कर्नाटक - 130	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 8, (47600-151100 रु.)। टिप्पण: नियमित सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 9	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1- केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

केरल	- 229				
मध्य प्रदेश	- 169				
महाराष्ट्र	- 178				
मणिपुर	- 19				
मेघालय	- 25				
मिजोरम	- 12				
नागालैंड-	15				
ओडिशा	- 133				
पंजाब	-84				
राजस्थान-	75				
सिक्किम	- 8				
तमिलनाडु	-162				
तेलंगाना	- 72				
त्रिपुरा	- 24				
उत्तराखंड	- 35				
उत्तर प्रदेश	- 188				
पश्चिम बंगाल	- 131				
कुल	- 2347				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विधाशाखा में बैचलर डिग्री। (ii) उस राज्य के लिए जिसमें रिक्तियाँ विद्यमान हैं और उस राज्य के राज्य महालेखाकार कार्यालय में भर्ती होनी है, विनिर्दिष्ट भाषा का और यथाविहित स्तर पर और परीक्षा लिए जाने के लिए भाषा प्रवीणता। वांछनीय अर्हताएं:- चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या कंपनी सचिव या वाणिज्य में मास्टर्स या कारोबार अध्ययन में मास्टर्स या कारोबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर्स या कारोबार अर्थशास्त्र में मास्टर्स।	आयु: लागू नहीं होता। आवश्यक अर्हताएं: लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1- सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। टिप्पण 2- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए "अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" अर्हत करना होगा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	
(11)	
प्रोन्नति: ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन : भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या भारत सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु.) में ऐसे सहायक लेखा अधिकारी या सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) जो भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के दूसरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अधीन अधीनस्थ लेखा सेवा या अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण या केंद्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन में समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी। टिप्पण.- उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलब्धता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं। समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि पर विचार करने के लिए):- 1. संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी। टिप्पण.- उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलब्धता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	9589* (2020)* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है टिप्पण: पद संख्या के राज्यवार ब्योरे निम्नानुसार है:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -8, (47600-151100 रु.) टिप्पण: नियमित सेवा	चयन पद	30 वर्ष से अधिक नहीं। टिप्पण 1- केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है

आंध्र प्रदेश	- 182		के 4 वर्ष पूरे		टिप्पण 2- आयु-सीमा
अरुणाचल प्रदेश	- 37		होने पर वेतन		अवधारित करने के लिए
असम	- 148		मैट्रिक्स के		निर्णायक तारीख वह अंतिम
बिहार	- 250		स्तर-9		तारीख होगी जो कर्मचारी चयन
छत्तीसगढ़	- 191				आयोग द्वारा विज्ञापित की
दिल्ली	- 604				जाएगी
गोवा	- 37				
गुजरात	- 290				
हरियाणा	- 157				
हिमाचल प्रदेश	- 130				
जम्मू-कश्मीर	- 179				
झारखंड	- 186				
कर्नाटक	- 325				
केरल	- 258				
मध्य प्रदेश	- 346				
महाराष्ट्र	- 405				
मणिपुर	- 37				
मेघालय	- 32				
मिजोरम	- 27				
नागालैंड	- 34				
ओडिशा	- 240				
पंजाब	- 250				
राजस्थान	- 314				
सिक्किम	- 21				
तमिलनाडु	- 430				
तेलंगाना	- 294				
त्रिपुरा	- 47				
उत्तराखंड	- 101				
उत्तर प्रदेश	- 395				
पश्चिम बंगाल	- 541				
वार्षिक लेखापरीक्षा					
कार्यालय	- 1566				
रेल लेखापरीक्षा					
कार्यालय	- 636				
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय					
- 392					
डाक-तारलेखापरीक्षा					
कार्यालय	- 436				
विदेशी लेखापरीक्षा					
कार्यालय	- 15				
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/					
क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र/अंतर-					
राष्ट्रीय सूचना तंत्र और					
लेखापरीक्षा केन्द्र/अंतर-					
राष्ट्रीय पर्यावरण					
लेखापरीक्षा और पोषणीय					
विकास केन्द्र /राष्ट्रीय					
लेखापरीक्षा और लेखा					

अकादमी	- 56				
महायोग	— 9589				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विधाशाखा में बैचलर डिग्री। (ii) उस राज्य के लिए जिसमें रिक्तियाँ विद्यमान हैं और उस राज्य के राज्य महालेखाकार कार्यालय में भर्ती होनी है, विनिर्दिष्ट भाषा का और यथाविहित स्तर पर और परीक्षा लिए जाने के लिए भाषा प्रवीणता। वांछनीय अर्हताएं:- चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल या कंपनी सचिव या वाणिज्य में मास्टर्स या कारोबार अध्ययन में मास्टर्स या कारोबार प्रशासन (वित्त) में मास्टर्स या कारोबार अर्थशास्त्र में मास्टर्स।	आयु: लागू नहीं होता। आवश्यक अर्हताएं: लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1- सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। टिप्पण 2- सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए अपने शाखाओं में "अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा" अर्हत करना होगा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रोन्नति: ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण किया है। प्रतिनियुक्ति या आमेलन : भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी : (i) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (47600-151100 रु०) में ऐसे सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या सहायक लेखा अधिकारी के सदृश पदधारण किए हुए हैं ; या (ii) जो भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के दूसरे संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के अधीन अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा या अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण या केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा संगठन में समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए):- 1. संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी ; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी ; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी । टिप्पण.- उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलब्धता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं । समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती की पुष्टि पर विचार करने के लिए):- 1. संबंधित राज्य के संवर्ग नियंत्रक अधिकारी; 2. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में ज्येष्ठतम अधिकारी ; 3. संवर्ग नियंत्रक अधिकारी के अलावा संबंधित राज्य में अगले ज्येष्ठतम अधिकारी । टिप्पण.- उपरोक्त में से ज्येष्ठतम अध्यक्ष होंगे बशर्ते कि जहाँ ऐसे अधिकारी की अनुपलब्धता संबंधित राज्य में पद न होने या पद के रिक्त होने या अधिकारी की लम्बी अनुपस्थिति के कारण हो, दूसरे राज्य के अधिकारी भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

[फा.सं. ए.12034/04/2018-ई.जी (जिल्द-II)]

निर्मला देव, उप सचिव (ई जी)

New Delhi, the 17th November, 2020

G.S.R. 179.— In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2016, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President, after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer, in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department namely:

- Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2020.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- Application.—** These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- Number of posts, classification and level in the pay matrix.—** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.
- Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualifications.—** No person,-
(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**— Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Accounts Officer	2347*(2020)/*subject to variation depending on workload Note: State-wise number of post is as under: Andhra Pradesh — 72 Arunachal Pradesh — 12 Assam — 79 Bihar — 91 Chhattisgarh — 56 Gujarat — 100 Haryana — 74 Himachal Pradesh — 56 Jammu & Kashmir — 66 Jharkhand — 52 Karnataka — 130 Kerala — 229 Madhya Pradesh — 169 Maharashtra — 178 Manipur — 19 Meghalaya — 25 Mizoram — 12 Nagaland — 15 Odissa — 133 Punjab — 84 Rajasthan — 75 Sikkim — 8 Tamilnadu — 162 Telangana — 72 Tripura — 24 Uttarakhand — 35 Uttar Pradesh — 188 West Bengal — 131 Total — 2347	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Level-8 (Rs. 47600-151100) Note:- Level-9 of the pay matrix on completion of four years of regular service.	Selection post	Not exceeding 30 years. Note 1:- Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment. Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) Bachelor's Degree in any discipline from a recognised University or Institute. (ii) Language proficiency for the language specified, and at the level as prescribed and to be tested, for the State in which the vacancies exist and recruitment is to take place, in the office of State Accountants General. Desirable Qualifications: Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics.	Age: Not applicable. Educational Qualification: Not Applicable.	2 years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. Note 1:- The direct recruits shall be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Staff Selection Commission. Note 2:- During the period of probation, direct recruits shall have to qualify the "Subordinate Accounts Service Examination" for confirmation and regular appointment as Assistant Accounts Officer.

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption grades, from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Departmental candidates who have passed the Subordinate Accounts Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. Deputation or absorption: Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or in any Organised Accounts Cadre under the	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer in the concerned State. Note: The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

Government of India: (i) holding analogous posts of Assistant Accounts Officer or Assistant Audit Officer in Level-8 in pay matrix (Rs 47600-151100); or (ii) who, has passed the Subordinate Accounts Service or Subordinate Audit Service Examination under other Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or an equivalent examination in any Organised Accounts Cadre under the Government of India. Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	vacancy or non-availability of posts or long absence, of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits) consisting of :- (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State. Note: The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India.	
--	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Audit Officer	9589* (2020) subject to variation depending on workload Note: Branch-wise number of post is as under: State Civil Audit Office: Andhra - 182 Pradesh	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-8 (Rs. 47600-151100) Note:- Level-9 of the pay matrix on completion of four years of	Selection post	Not exceeding 30 years. Note 1:- Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with

	Arunachal Pradesh – 37 Assam – 148 Bihar – 250 Chhattisgarh – 191 Delhi – 604 Goa – 37 Gujarat – 290 Haryana – 157 Himachal Pradesh – 130 Jammu & Kashmir – 179 Jharkhand – 186 Karnataka – 325 Kerala – 258 Madhya Pradesh – 346 Maharashtra – 405 Manipur – 37 Meghalaya – 32 Mizoram – 27 Nagaland – 34 Odissa – 240 Punjab – 250 Rajasthan – 314 Sikkim – 21 Tamilnadu – 430 Telangana – 294 Tripura – 47 Uttarakhand – 101 Uttar Pradesh – 395 West Bengal – 541 Commercial Audit Offices – 1566 Railway Audit Offices – 636 Defence Audit Offices – 392 P&T Audit Offices – 436 Overseas Audit Offices – 15 Regional Training Institute / Regional Training Centre / International		regular service.		the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2:- The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.
--	--	--	------------------	--	--

Centre for Information System & Audit /International Centre for Environment Audit & Sustainable Development /National Academy of Audit and Accounts					
Grand Total – 9589					

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: (i) Bachelor's degree in any discipline from a recognised University or Institute. (ii) Language proficiency for the language specified, and at the level as prescribed and to be tested, for the State in which the vacancies exist and recruitment is to take place, in the office of State Accountants General. Desirable Qualifications: Chartered Accountant or Cost Accountant or Company Secretary or Masters in Commerce or Masters in Business Studies or Masters in Business Administration (Finance) or Masters in Business Economics.	Age: Not applicable. Educational Qualification: Not Applicable.	Two years for direct recruits.	By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. Note 1:- The direct recruits shall be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Staff Selection Commission. Note 2:- During the period of probation, direct recruits shall have to qualify "Subordinate Audit Service Examination" in respective branches for confirmation and regular appointment as Assistant Audit Officer.

(11)	(12)	(13)
Promotion : Departmental candidates who have passed the Subordinate Audit Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. Deputation or absorption: Officers under the Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or in any Organised Accounts Cadre under the Government of India: (i) holding analogous posts of Assistant	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State. Note.- The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(ii) Audit Officer or Assistant Accounts Officer in Level-8 in pay matrix (Rs 47600-151100); or who, has passed the Subordinate Audit Service or Subordinate Accounts Service Examination under other Cadre Controlling Authority in the Indian Audit and Accounts Department or an equivalent examination in any Organised Accounts Cadre under the Government of India. Note 1:- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2:- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	to vacancy or non-availability of posts or long absence, of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation of direct recruits)consisting of :- (1) Cadre Controlling Officer of the concerned State; (2) Senior most officer, other than Cadre Controlling Officer in the concerned State; (3) Next senior most officer, other than Cadre Controlling Officer, in the concerned State. Note.- The senior most amongst them shall be the Chairperson, provided that where such officers are not available in the State due to vacancy or non-availability of posts or long absence of individual officer, officer from outside the State may be nominated by the Comptroller and Auditor General of India.	
--	---	--

[F. No. A-12034/04/2018-EG (Vol. II)]
NIRMALA DEV, Dy. Secy. (EG)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(राष्ट्रपति भवन)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 180 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मंत्रिमंडल सचिवालय सवार हरकारा भर्ती नियम 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण

से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में सवार हरकारा के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, सवार हरकारा, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सवार हरकारा	*08 (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 2 (19,900-63,200/- रुपए)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्षों तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक: i) मैट्रिकुलेशन ii) मोटरसाइकिल या आटोरिक्षा के चालन के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति हो; iii) मोटरसाइकिल या आटोरिक्षा चलाने का दो वर्ष का अनुभव; iv) मोटरसाइकिल या आटोरिक्षा यंत्र क्रिया का ज्ञान। (पदधारी को यान की छोटी-छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए) v) अंग्रेजी और हिन्दी पढ़ने में समर्थ हो। वांछनीय:- होमगार्ड या नागरिक स्वयं सेवक के रूप में अनुभव। टिप्पण:- अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति या आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: (1) मंत्रिमंडल सचिवालय के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद, जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो जो स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों; या (2) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किये हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तम्भ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में

स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) में सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है। तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होती।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय -- अध्यक्ष 2. अवर सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय -- सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई एक समूह 'क' अधिकारी -- सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/4/2019- प्रशा. 1]

इन्द्राणी गुप्ता, निदेशक

CABINET SECRETARIAT

(RASHTRAPATI BHAVAN)

New Delhi, the 29th September, 2020

G.S.R. 180.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat Despatch Rider Recruitment Rules, 1999, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Despatch Rider in the Cabinet Secretariat, namely: -

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat Despatch Rider, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.— The number of the post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Despatch Rider	08* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, non -Gazetted, non-Ministerial.	Level-2 Rs. 19,900 – 63,200.	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications.	Essential: (i) Matriculation; (ii) possession of a valid driving license for Motorcycle or Autorickshaw; (iii) two years experience in driving Motorcycle or Autorickshaw; (iv) knowledge of Motorcycle or Autorickshaw mechanism; (The candidate should be able to remove minor defects in the vehicles); and (v) ability to read English and Hindi. Desirable:- Experience as Home Guard or Civil Volunteers. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)
Not applicable	Two years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(10)
Deputation/absorption failing which by direct recruitment. For Ex-servicemen Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(11)
Deputation/absorption : (1) From amongst the Multi-Tasking Staff in the Cabinet Secretariat having three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis who possess the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7); or (2) amongst the Officers under the Central Government , - (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-1 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7). For Ex – Servicemen: Deputation/re-employment The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and who possess the qualifications and experience prescribed for direct recruits in column (7) shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee, for considering confirmation cases, consisting of:- (i) Director/ Deputy Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Chairman; (ii) Under Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Member; (iii) A Group 'A' Central Government officer from outside the Ministry/Department – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/4/2019-Ad. I.]

INDRANI GUPTA, Director

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 181 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मंत्रिमंडल सचिवालय (मंत्रिमंडल परिचर) भर्ती नियम 1978 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया था या करने का लोप किया गया है, मंत्रिमंडल सचिवालय में मंत्रिमंडल परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल परिचर, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि .— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मंत्रिमंडल परिचर	*01 (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर - 2 (19,900-63,200/- रुपए)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(6)	(7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	पुनर्नियोजन के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	
(11)	
प्रोन्नति : मंत्रिमंडल सचिवालय के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । प्रतिनियुक्ति/आमेलन: केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी-- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मेट्रिक्स के स्तर 1 या समतुल्य पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अर्हता है। टिप्पण 1:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन के संबंध में: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति पुष्टि और प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:- - निदेशक/उप सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय -- अध्यक्ष - अवर सचिव (प्रशासन), मंत्रिमंडल सचिवालय -- सदस्य - केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोई एक समूह 'क' अधिकारी -- सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/3/2019- प्रशा.1]

इन्द्राणी गुप्ता, निदेशक

New Delhi, the 29th September, 2020

G.S.R. 181 .— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Cabinet Secretariat (Cabinet Attendant) Recruitment Rules, 1978, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Cabinet Attendant in the Cabinet Secretariat, namely:-

1. **Short title and commencement .—** (1) These rules may be called the Cabinet Secretariat, Cabinet Attendant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.—** The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—** The method of recruitment to said post, age limit, qualifications and other matter relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification .—** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving .—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cabinet Attendant	01* (2020) * Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group C, Non -Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 Rs. 19,900 – 63,200.	Non - selection

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)
Not applicable	Two years on re-employment

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(10)
By promotion failing which by deputation/absorption. For Ex-servicemen: Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption is to be made
(11)
Promotion : Multi-Tasking Staff of Cabinet Secretariat with three years' regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/Absorption : Officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the post in level-1 of pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) having matriculation qualification from a recognised Board. Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation, and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. For Ex – Servicemen: On deputation/re-employment: The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having matriculation qualification shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter they may be continued on re-employment.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation consisting of :- 1. Director/ Deputy Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Chairman; 2. Under Secretary (Administration), Cabinet Secretariat – Member; 3. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/3/2019-Ad. I.]
INDRANI GUPTA, Director

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 182.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम), भर्ती नियम, 1996, जहां तक उनका संबंध हिंदी अनुवादक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का

लोप किया गया है, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय में कर्मकार एकक में कनिष्ठ अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के कनिष्ठ अनुवादक समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ अनुवादक* *हिंदी अनुवादक को कनिष्ठ अनुवादक के रूप में पुनः नमोदिष्ट	5* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर -6 (35,400-1,12,400 रु.)	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों और नियमों अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा

					अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पिती जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)
--	--	--	--	--	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री। या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जो हिंदी माध्यम से हो और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी परीक्षा	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री। और (ख) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र- पाठ्यक्रम; अथवा हिंदी से अंग्रेजी तथा विपर्ययेत (अंग्रेजी से हिंदी) में अनुवाद का केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय का दो वर्ष का अनुभव जिसमें भारत सरकार के उपक्रम का अनुभव भी शामिल हैं। टिप्पण 1- अनुभव संबंधी (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। टिप्पण 2 – अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			
--	--	--	--

उन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	1. विभागाध्यक्ष/संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय –अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय, –सदस्य; 3. अन्य मंत्रालय/उसी शहर में स्थित विभाग का समूह 'क' अधिकारी–सदस्य; 4. प्रधानाचार्य या सहायक निदेशक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य।	लागू नहीं होता

[फा.सं.डीजीटी-ए-12017/1/2017/डब्ल्यूटी-पार्ट(3)]

सोनू भाटिया,अवर सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(DIRECTORATE GENERAL OF TRAINING)

New Delhi, the 5th November, 2020

G.S.R. 182.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the workmen's unit, in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Junior Translator, Group 'B' post, Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**— Noting in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, economically weaker section, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Translator* • Hindi Translator re-designated as Junior Translator	5*(2019) • Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs. 35,400-1, 12,400)	Not licable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto Five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government on time to time.) Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of

					applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee	Period of probation, if any	Method of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion deputation or absorption to be made
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification:- (a) Masters Degree of recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Masters degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Masters degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; Or Masters degree of recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; Or Masters degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, With Hindi and English as	Not applicable	Two years	Direct Recruitment

compulsory or elective subjects or either of the two as a medium examination and other as a compulsory or elective subject at degree level; And (b) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa; or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including Government of India Undertaking. Note:- 1 The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Competent Authority, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Note:- 2 Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
--	--	--	--

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion, Deputation or absorption to be made	If Departmental promotion committee exist what is its composition	Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	1. Head of Department /Joint Director of Training, Directorate General of Training -Chairman. 2. Deputy Director of Training -Member. 3. Group 'A' officer of another/ Department located in the same City - Member. 4. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute (Women Training) Directorate General of Training - Member.	Not applicable.

जल शक्ति मंत्रालय**(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)**

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 183.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अधिकारी सर्वेक्षक) भर्ती नियम, 1973, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, में अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, अधिकारी सर्वेक्षक, भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूचि के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूचि के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अधिकारी सर्वेक्षक	16* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसूचित	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा भर्ती दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
प्रोन्नति द्वारा : ऐसा सर्वेक्षक जिसने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.) में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ उस श्रेणी में सिविल इंजीनियरी या खनन इंजीनियरी में किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम डिप्लोमा रखता हो और जिसने राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर से चार सप्ताह का प्रवेश स्तर प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त या कानूनी संगठन के	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड , जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य 3. वैज्ञानिक 'घ' केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड , जल बोर्ड, जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अधीन अधिकारी : (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400 – 112400 रु) में नियमित आधार पर पाँच वर्ष सेवा की हो ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखता हो : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरी या खनन इंजीनियरी में बैचलर डिग्री ; और (ii) सर्वेक्षण में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1. प्रतिनियुक्ति या संविदा की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		
---	--	--

[फा.सं. ए. 31012/12/2017- सी.जी.डबल्यू.बी]

एस, के .कटारिया, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHAKTI**(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)**

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 183.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Officer Surveyor) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Officer Surveyor in the Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Officer Surveyor Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Service men, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age -limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Officer Surveyor	16 *(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service , Group 'B', Gazetted, Non-ministerial	Level -7 (Rs.44900-142400/-) in the pay matrix	Selection post	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which deputation (including short-term contract).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By promotion: Surveyor in level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix with five	Group-B Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

years regular service in the grade possessing at least a Diploma in Civil Engineering or Mining Engineering from a recognized University or Institute and having successfully completed four weeks induction level training from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur. Note : Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors should also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Public Sector Undertaking or recognised Universities or Research Institutions or Autonomous or Statutory Organisations: (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the posts in the level-6 (Rs.35400-112400/-) in pay matrix in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelors Degree in Civil Engineering or Mining Engineering from a recognized University or Institute; and (ii) At least two years experience in Surveying. Note 1: Period of deputation or contract including period of deputation in another post held immediately preceding this appointment in the same organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age -limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources and Ganga Rejuvenation.- Chairman; 2. Director (Administration) Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources and Ganga Rejuvenation. - Member; 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources and Ganga Rejuvenation. - Member.	
---	--	--

Note 2: The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
---	--	--

[F.No.A.31012/12/2017-CGWB]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (सर्वेक्षण), भर्ती नियम, 1980 को और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1968 उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में सर्वेक्षक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, सर्वेक्षक भर्ती नियम, 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—** भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वें होगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।
- निरर्हता .—** वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- शिथिल करने की शक्ति .—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- व्यावृत्ति .—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सर्वेक्षक	50* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)	लागू नहीं होता	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से सिविल या खनन इंजिनियरी में डिप्लोमा अनुभव : सरकारी /मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान/ पैब्लिक सेक्टर उपक्रमों / कानूनी या स्वायत्त संगठन से सर्वेक्षण करने और तलमापन में दो वर्ष का अनुभव रखता हो। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। (पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ, केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा भरी जा सकेगी। (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जो वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 में नियमित आधार पर छः वर्ष की नियमित सेवा किया हो, और (ख) स्तम्भ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अनुभव और शैक्षिक अर्हताएं रखता हो।

चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			
--	--	--	--

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - सदस्य 3. वैज्ञानिक 'डी' केन्द्रीय भू-जल बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए. 31012/14/2017- जी डब्ल्यू ई]

एस.के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 184.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board (Senior Technical Assistant (Survey), Recruitment Rules, 1980 and the Central Ground Water Board (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1968 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the rules regulating the method of recruitment to the post of Surveyor in the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Surveyor Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and the Level in the pay matrix.— The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule:

4. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Surveyor	50*(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-6 (Rs.35400-112400/-) in the pay matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: Diploma in Civil or Mining Engineering from a recognized University or Institute. Experience: Two years experience of surveying and leveling from Government/recognized University or Institute/Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organization. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	By direct recruitment. (Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government. (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years regular service in posts in the level-5 of the pay matrix; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exist what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for confirmation) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Director (Administration), Central Ground Water Board – Member; 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No.A.31012/14/2017-GWE]

S.K. KATARIA, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 185.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीक सहायक (जलोत्काविज्ञान) भर्ती नियम, 1971 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान) भर्ती नियम 2020 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.**— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोत्काविज्ञान)	1* (2020) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900 रूपए)	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति:- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
7	8	9	10
आवश्यक अर्हता:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मौसम विज्ञान या भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या भूभौतिकी या गणित अथवा सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिग्री। टिप्पण:- अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। वांछनीय अनुभव:- मौसम विज्ञान संबंधी कार्य में कम से कम एक वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधे भर्ती। टिप्पण:- पदधारी की प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी: (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 वाले पदों में 05 वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव है।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
11	12	13
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि/समिति (सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य 3. वैज्ञानिक 'डी', जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा.सं. ए. 31012/08/2017/सीजीडब्ल्यूबी]

एस.के. कटारिया, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd November, 2020

G.S.R. 185.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrometeorology) Recruitment Rules, 1971, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technical Assistant (Hydrometeorology) in the Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Hydrometeorology) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and level in pay matrix.—The number of the post, its classification level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in, columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Service men, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant (Hydrometeorology)	1 *(2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service , Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -7 (Rs.44900) in the pay matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruitment	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct or by promotion or deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualification: A post graduate degree in Meteorology or Physics or Applied Physics or Geophysics or Mathematics or Statistics from a recognised University or Institute. Note: Qualifications are relaxable at the discretion of Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. Desirable. Experience: at least one years experience in the meteorological work.	Not applicable	Two years	Direct Recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstance for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 05 years regular service in posts in level-6 of the pay matrix; and (b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Col.(7).

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for direct recruits) consisting of: 1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources and Ganga Rejuvenation. - Chairman;	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

	2. Director (Administration) Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources and Ganga Rejuvenation. - Member; 3. Scientist 'D', Central Ground Water Board, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources and Ganga Rejuvenation. - Member.	
--	---	--

[F.No.A.31012/08/2017/CGWB]

S.K. KATARIA, Under Secy.